खेल निदेशालय, उत्तरांचल,
देहरादून।

संख्या 4063 /ब.प./2005–2006/दे.दून/दिनांक 15 फरवरी, 2006

जिला क्रीड़ा अधिकारी,
देहरादून।

विषयः– **पवेलियन ग्राउनड, देहरादून के जीर्णोद्वार हेतु अवशेष धनराशि आंवटन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–40/VI-I/2006 दिनांक 06 फरवरी, 2006 की छायाप्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2005–2006 में पवेलियन ग्राउण्ड, देहरादून के जीणोद्वार हेतु अवशेष धनराशि रू. 9.36 लाख (नो लाख छत्तीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के साथ आवंटन की जाती है।

I. आगणन में उल्लखित दरों का विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक है।

II. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राबिधानित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधानित स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

III. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

IV. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

V. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन सुनिश्चित करें।

VI. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भलीभांति निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

VII. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में कदापि व्यय न किया जाय।

VIII. निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यंहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कडाई से अनुपालन किया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–03–खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम–102–खेलकूद स्टेडियम (लघुशीर्षक 108 के स्थान पर) खेलकूद तथा युवा सेवाएं–05–स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)–24 वृहत निर्माण कार्य आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नाम में डाला जाय।

अतः आप उक्त स्वीकृत धनराशि 9.36 लाख (नो लाख छत्तीस हजार मात्र) नियमानुसार आहरित करते हुये अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, प्रखण्ड देहरादून को उपलब्ध कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराये तथा कार्यदायी संस्था द्वारा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक प्रगति की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

उक्त बजट, बजट कन्ट्रोल पंजिका पृष्ट 127–128 पर अंकित कर लिया गया है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
निदेशक खेल

संख्या एवं तिथि तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, विभाग, प्रखण्ड, देहरादून।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण अनुभाग–3) उत्तरांचल, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

(आर.के. चतुर्वेदी)
अपर निदेशक खेल,
उत्तरांचल, देहरादून

1502060810